GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.1761
TO BE ANSWERED ON 10.02.2026

RULES FOR RESERVATION

1761. SHRI RAJA A:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether the Supreme Court in its landmark judgment had ruled that reserved category candidates must be adjusted against unreserved seats, if they secure higher marks (on merit), if so, the details thereof;

(b) if so, whether the Ministry has issued any direction or office order for following strictly the court order in all the establishments, if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether any monitoring mechanism put in place to ensure the order is strictly implemented in all Government Departments and undertakings, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SHRI B.L.VERMA)

(a) to (d): In reference to the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 10.02.1995 in the matter of R.K. Sabharwal & Ors. vs State of Punjab & Others, DoPT has issued an OM dated 02.07.1997, para 5 of which provides that the candidates belonging to SCs/STs/OBCs who were appointed on merit (and not due to reservation) are not to be counted towards reservation so far as direct recruitment is concerned. Further, vide DoPT OM dated 01.07.1998, it is provided that in case of direct recruitment, SC/ST/OBC candidates, who are selected on the same standard as applied to general candidates i.e. without relaxation in age limit, experience qualification, permitted number of chances in written examination, extended zone of consideration larger than what is provided to the general category candidates etc., shall not be adjusted against reserved vacancies.

In case of promotion, DoPT OM dated 11.07.2002 provides that the SC/ST candidates appointed by promotion on their own merit and not owing to reservation or relaxation of qualifications will not be adjusted against the reserved points of the reservation roster. However, it is stated that the policy of reservation in promotion, including own merit in promotion, is presently sub-judice before the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases (SLP No. 30621 of 2011).

The instructions also provide that each Ministry/Department is required to designate an officer, at least of the rank of Deputy Secretary, as a Liaison Officer to ensure implementation of the instructions relating to reservations

*****

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1761

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

आरक्षण के नियम

1761. श्री ए. राजा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह फैसला सुनाया था कि यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी योग्यता (मेरिट) के आधार पर अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अनारक्षित सीटों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा उक्त न्यायालयीन आदेश का सभी प्रतिष्ठानों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई निर्देश अथवा कार्यालय आदेश जारी किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सभी सरकारी विभागों एवं उपक्रमों में उक्त आदेश के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (घ): आर.के. सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.02.1995 के निर्णय के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 02.07.1997 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके पैरा 5 में यह प्रावधान है कि सीधी भर्ती के संबंध में जिन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया था (न कि आरक्षण के आधार पर), उनकी गणना आरक्षण के संबंध में नहीं की जाएगी। इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.1998 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवार, जिनका चयन सामान्य

उम्मीदवारों के लिए लागू मानक के आधार पर किया जाता है, अर्थात ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में मिलने वाले अवसरों की संख्या में छूट दिए बिना तथा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले विचार क्षेत्र से बड़े विचार क्षेत्र आदि की सुविधा दिए बिना किया जाता है, उनका समायोजन आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

पदोन्नति के मामले में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.07.2002 के कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों को उनकी अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि आरक्षण या अर्हताओं में छूट के कारण, उन्हें आरक्षण रोस्टर के आरक्षित प्वाइंट के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, विदित हो कि पदोन्नति में अपनी योग्यता सहित पदोन्नति में आरक्षण की नीति का मामला वर्तमान में जरनैल सिंह बैच के मामलों (2011 की एसएलपी संख्या 30621) में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को आरक्षण से संबंधित अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कम से कम उप सचिव रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करना अपेक्षित है।

*****